320

संख्या–1881 /XVIII(II)/2015–18(103)/2013

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः–जनपद ऊधमसिंहनगर में मुस्लिम कब्रिस्तान तथा ईसाई कब्रिस्तान निर्माण हेतु क्रमशः 0.376 है0 तथा 0.405 है0 भूमि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1478/सात–स0भू0अ0/2013 दि0–18.09.2013 तथा पत्र सं0–691/सात–स0भू0अ0/2013 दि0–05.04.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मुस्लिम कब्रिस्तान हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील एवं ग्राम सितारगंज के खाता सं0–641 के खसरा सं0–55मि0 रकबा 0.376 है0, वर्ग–5(3)ङ अन्य कृषि बंजर तथा ईसाई कब्रिस्तान हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम प्रह्लाद पलसिया के खाता सं0–2 के खसरा सं0–50/1 रकबा 4.082 है0 मध्ये 0.405 है0, वर्ग–14 कृषि योग्य बंजर (2) पुरानी परती भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दि0–15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

Alok

.....2

8– प्रश्नगत जेड0ए0/नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पृ0प0संख्या–1881 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।